229

संख्याः 817 /VII-1/18–उद्योग/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांकः 23 अगस्त, 2013

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों के ई0आई0ए0 कराये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के पत्र संख्या 1522/ई0आई0ए0/भू0खनि0ई0/2012–13, दिनांक 20 मार्च, 2013 के कम में राज्य के विभिन्न जनपदों में नदी तल में विद्यमान ऐसे उपखनिज क्षेत्रों जिनमें निगमों द्वारा खनन कार्य किये जाने पर अनिच्छा व्यक्त की गयी है, के 222 उपखनिज लॉटों का ई0आई0ए0 अध्ययन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में खनिकर्म इकाई के मद संख्या–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के लिए रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस प्रकार एक मद की धनराशि दूसरी मद में कदापि व्यय न की जाय।

(ii) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है।

(iii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) उक्त धनराशि के व्यय के समय नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन कड़ाई से किया जाये।

(v) उक्त धनराशि का उपयोग कर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा मदवार व्यय विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपभोग के उपरान्त अप्रयुक्त अवशेष धनराशि यथासमय दिनांक 31 मार्च, 2014 तक समयान्तर्गत समर्पित किया सुनिश्चित किया जाय।

(vi) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) प्रश्नगत धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000–आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–02–खानों का विनियमन तथा विकास–आयोजनागत–102–खनिज खोज–03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 105/XXVII(2)/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

रा0आ0निधि संख्याः 02/XXVII-2/रा0आ0निधि/2013, दिनांक 30 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

पृष्ठांकन संख्याः 817 (1)/VII-1/18–उद्योग/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक कोषगार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।